COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

130

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २००६ निगरानी - 1629-II/09

सिध्दगोपाल सिंह पुत्र शीतल सिंह, जाति-
ठाकुर, निवासी ग्राम जकमौली,
तेहसील व जिला भिण्ड-म०प्र० ।

--------- प्रार्थी

विरुध्द

श्री एस०के० अवस्थी एडवोकेट
द्वारा आज दि० 26-11-09 को प्रस्तुत ।
26/11/09
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

१- श्रीमती मिथलेश पत्नी महेश सिंह,
निवासी ग्राम जखमौली, तेहसील व
जिला भिण्ड -म०प्र०
हाल निवासी कौंच मिल, बड़ा गेट,
ग्वालियर- म०प्र० ।

२- विट्टन देवी पत्नी बरनाम सिंह,

३- सुनीतादेवी पुत्री बरनाम सिंह जाति
ठाकुर, निवासी ग्राम जखमौली,
हाल निवासी क्वार्टर नं० १३३, लाईन
नम्बर-४, बिरलानगर, ग्वालियर-म०प्र० ।

------ प्रतिप्रार्थी

२६/९९/०९

निगरानी विरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर, चम्बल संभाग दिनांकी २८-८-२००६, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० ६४।०८-०६ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाऐं कानूनन सही नहीं हैं ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

क्रमशः---२

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1629–दो/09 जिला – भिण्डः

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरणरा क्रमांक 64/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–08–09 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा एक मात्र तर्क यह दिया गया है कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है अतः विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाये कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयय के परिप्रेक्ष्य में सभी बिंदुओं का निराकरण किया जाये । 3/ अनाावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लंबित है और उसमें अभी कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है । 4/ दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरांत अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर किया गया है और विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 का नामांतरण किया गया है । नामांतरण आदेश की पुष्टि	19/1/17

R. 1629/09

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने की है । जहां तक आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही के निर्देश तहसीलदार को दिए जायें इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा स्वयं यह बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रकरण अभी विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में इस स्तर पर कोई निर्देश देना उचित प्रतीत नहीं होता है । माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा और राजस्व न्यायालयों द्वारा उस अनुसार कार्यवाही की जायेगी । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । सदस्य	